समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का षोड्ष सत्र संशोधित कार्यक्रमानुसार दिनांक 11 मार्च, 2015 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 22 अप्रील, 2015 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-27 (सत्ताईस) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 11 मार्च, 2015 को बिहार विधान सभा के दोनों सदनों को महामहिम राज्यपाल द्वारा संबोधित किया गया । तत्पश्चात सरकार द्वारा प्रस्तुत विश्वास के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के उपरान्त लौवी डिवीजन हुआ, जिसमें पक्ष में 140 मत एवं विपक्ष में शून्य मत प्राप्त होने के कारण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को नियमानुसार सदन नेता घोषित किया गया । माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा गया ।

सत्र के दौरान 21 (इक्कीस) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया तथा दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी ।

दिनांक 12 मार्च, 2015 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 का आय-व्ययक उपस्थापित करते हुए बजट भाषण दिया गया । तदुपरांत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री राजेश सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ ।

दिनांक 13 मार्च, 2015 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 12 मार्च, 2015 से जारी वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात प्रस्ताव पारित हुआ । माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी उपस्थापित किया गया ।

दिनांक 16 मार्च, 2015 को वर्ष 2014-15 के लिए तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरणी में सम्मिलित पंचायती राज विभाग के माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा शेष मांगे गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुआ तत्पश्चात विनियोग विधेयक पारित हुआ ।

दिनांक 17 मार्च, 2015 को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर वाद-विवाद तथा सरकार के उत्तर के पश्चात प्रस्ताव स्वीकृत हुआ एवं तत्संबंधी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 पारित हुआ ।

दिनांक 19 मार्च, 2015 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक पर हुए दो दिनों के सामान्य विमर्श का उत्तर दिया गया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कार्यकलापों के संबंध में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति तथा माननीय प्रभारी मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं पर्यावरण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2014 की प्रति सभा पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 25 मार्च, 2015 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बिहार विधान सभा की नियम समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2015-16 के गठन के लिए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को अधिकृत करने एवं इन समितियों के सहकारी सदस्यों को मनोनीत करने के लिए बिहार विधान परिषद से सिफारिश करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 27 मार्च, 2015 को छात्रों पर कथित लाठी चार्ज की घटना पर सरकार का वक्तव्य हुआ ।

दिनांक 07 अप्रील, 2015 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र तथा राज्य वित्त पर प्रतिवेदन की प्रति एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखा गया और इसको जनता में विक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 की धारा 8 (3) के तहत संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-1090, दिनांक 21.08.2013, अधिसूचना सं०-625, दिनांक 11.06.2014 एवं अधिसूचना सं०-808, दिनांक 07.08.2014 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 08 अप्रील, 2015 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा के द्वितीय, चतुर्थ, पंचम्, षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् सत्रों के अनागत, अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नोत्तरों की मुद्रित प्रतियाँ सदन पटल पर रखी गयी । पटना में हुए विस्फोट की घटना पर सरकार का वक्तव्य हुआ ।

दिनांक 10 अप्रील, 2015 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के तृतीय तिमाही में प्राप्त एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 16 अप्रील, 2015 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में आचार समिति के नियम 292(ज) के रूप में जोड़ने हेतु नियम समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर सदन की सहमति हुई । माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट, परिणाम बजट एवं जेण्डर बजट संबंधी प्रतिवेदन की प्रति तथा वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08 एवं 2008-09 के अधिकाई व्यय विवरणी उपस्थापित किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में सम्मिलित 15 विभागों के अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद हुआ एवं विभागीय मंत्री के उत्तर के पश्चात् सदन द्वारा स्वीकृत किया गया तथा शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत हुए ।

दिनांक 20 अप्रील, 2015 को माननीय उद्योग मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के बिहार राज्य वित्तीय निगम के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का क्रमशः 55वाँ एवं 56वाँ प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2008-2009 के अधिकाई व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँग सदन द्वारा स्वीकृत किया गया तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक पारित हुआ । तत्पश्चात् नियम-43 के तहत सामान्य लोक हित के विषय धान क्रय में हो रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर सदन में विमर्श हुआ तथा सरकार का उत्तर हुआ ।

निम्नांकित विधेयक सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(1) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015

(2) बिहार वित्त विधेयक, 2015

(3) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

(4) बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

(5) बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन विधेयक, 2015

(6) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015

(7) श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्युट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) विधेयक, 2015

सत्र के दौरान कुल-3629 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें 2252 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 38 अल्पसूचित, 1882 तारांकित एवं 332 अतारांकित थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 249 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 355 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-40, उत्तर संलग्न प्रश्नों की संख्या-19 एवं 1589 प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान कुल-131 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये । बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति का 29 (उनतीस), शून्यकाल समिति का 04 (चार) एवं निवेदन समिति का 01 (एक) प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

इस सत्र में कुल-360 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 327 स्वीकृत हुए एवं 33 अस्वीकृत हुए । कुल-89 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 74 स्वीकृत एवं 15 अस्वीकृत हुए । इस सत्र में कुल-368 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 52 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 285 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 31 अमान्य हुए ।

सत्रावधि के दौरान 25 बैठकों में राज्य के 25 जिलों के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राऐं सदन के अन्तराल के पहले की कार्यवाही को देखा । इसमें उक्त जिलों के 25 छात्र एवं 25 छात्राओं ने भाग लिया । बिहार विधान सभा एवं मानव संसाधन विकास विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसमें सराहनीय योगदान दिया है ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन द्वारा डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों में जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया, उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

आज पंचदश बिहार विधान सभा के अंतिम बजट सत्र के समाप्ति के अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूँ ।

*****